



श्रीमती राजरानी खुराना

प्राध्यापक, शा. जे. एन. एस. महाविद्यालय, शुजालपुर

ABSTRACT

भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से सरकार ने विभिन्न योजनाएँ शुरू की। गरीबी में कमी के लिए। सरकार की योजनाओं के कारण भारत का गरीबी अनुपात कम किया। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सरकार ने इतना पैसा खर्च किया लेकिन सरकार अपेक्षित लक्ष्य हासिल नहीं किया। गरीबी केवल भारत में ही नहीं है बल्कि दुनियाभर में इसकी मौजूदगी है। गरीबी को विकास में बाधा के रूप में केन्द्रित किया जाता है। गरीबी आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक भी बनाती है ऐसी समस्याएँ जो बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान पहुँचाती हैं। स्वरोजगार में वृद्धि के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, बालिका समृद्धि, भत्ता विद्यालयों में उपस्थिति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयं योजना, इंदिरा आवास योजना, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित की जाती हैं।

परिचय :-

भारत एक विकासशील देश है। विकास प्रगति में, बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी उत्पन्न करती है जिसका प्रभाव गरीबी और निम्न आय पर पड़ता है तुलनात्मक रूप से विकास देशों से अधिक

गरीबी नई समस्याएँ पैदा करती है। अतीत में यह माना जाता था कि गरीबी का मतलब अभाव था घरेलू चीजें लेकिन गरीबी की अवधारणा धीरे-धीरे अलग अध्ययनों पर बदल गयी।

अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट : (असंगठित में राष्ट्रीय उद्यम आयोग से) कहता है कि 77 प्रतिशत भारतीय प्रतिदिन 20 रुपये से कम (लगभग 0.50 डॉलर प्रतिदिन) पर रहते हैं।

नेकां समिति की रिपोर्ट : राज्यों का कहना है कि औसत प्रतिव्यक्ति खर्च रुपये से कम है। 1000/एमटीएच शहरी क्षेत्रों में और रु.। ग्रामीण भारत में 700 प्रतिशत भारतीय गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। परन्तु राज्य योजना पैनल के बीपीएल आंकड़ों को अस्वीकार करते हैं। (भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय 11 के लिए बीपीएल जनगणना के संचालन के लिए कार्यप्रणाली पर विशेषज्ञ समूह में पंचवर्षीय योजना अगस्त 2009)

विश्वबैंक : कहता है कि वह व्यक्ति जिसकी आय 1 डॉलर से कम है जिसे गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है।

गरीबी की अवधारणा के कई कोण हैं भोजन, आश्रय और कपड़े को मूलभूत आवश्यकताएँ हैं मनुष्य लेकिन इसके अलावा न्यूनतम शिक्षा, न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता और सामाजिक प्रतिमाओं का मतलब परिवार की गरीबी से भी है।

गरीबी केवल भारत में ही नहीं है बल्कि दुनियाभर में इसकी मौजूदगी है। गरीबी को एक के रूप में केन्द्रित किया गया है विकास में बाधा। गरीबी से आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ सामाजिक समस्याएँ भी पैदा होती हैं बड़े पैमाने पर समाज। भारत ने अपने 5 वर्षों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए उल्लेखनीय कार्यक्रम लागू किए हैं।

आजादी के बार से योजनाएँ :-

स्वरोजगार में वृद्धि के लिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना, बालिका समृद्धि योजना, बौद्ध किसान परिवारों के लिए वित्तीय सहायता, एससी और एसटी छात्रों, भारत निर्माण, राजीव के लिए स्कूलों में उपस्थिति के लिए गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अंत्योदय अन्न योजना, लड़कियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा 1 के छात्रों के लिए विशेष रियायत सेवा में शैक्षिक रूप से पिछड़े ए एसटीडी क्षेत्र सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जीवनधारा आरोग्य योजना श्रवणबल सेवा राज्य निवृत्ति योजना 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएँ महिला और बालकल्याण विभाग द्वारा वर्षों से विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लागू की जाती हैं।

इन योजनाओं पर कितना सरकारी खर्च हुआ है और कितने लोगों को इन योजनाओं से लाभ हुआ है, यह सब शोध पत्र विषय में अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य :-

- 1) सरकार का अध्ययन करना। गरीबी उन्मूलन के लिए खर्च।
- 2) यह अध्ययन करने के लिए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है या नहीं।
- 3) यह अध्ययन करने के लिए कि बीपीएल परिवारों के लिए योजना का उचित कार्यान्वयन किया गया है या नहीं।

सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाएँ तैयार करती है कुछ चुने हुए का मूल्यांकन योजनाएँ नीचे दी गयी हैं।

जननी सुरक्षा योजना :-

इस योजना में परिवारों को 100 प्रतिशत केन्द्रिय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना को फार्म 12 से शुरू किया गया था अप्रैल 2005 इस योजना को अनुसूचित छोटे परिवारों से महिला मृत्यु दर और बाल मृत्युदर को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है।

परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय कल्याण योजना (राष्ट्रीय कुटुम्भा योजना) के मामले में बीपीएल के परिवार के मुखिया की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु 18 से 65 वर्ष की आयु समूह इस योजना के माध्यम से परिवार को 10,000 रुपये मंजूर किए जाते हैं।

इंदिरा आवास योजना : 1985-86 में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गयी थी जहाँ बी. पी. एल. जिसके पास घर की सुविधा नहीं थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। जहा से अनुपात 75:25 है। 2010-2011 में निर्माण लागत 45,000 रुपये तक की गयी थी, लेकिन राज्य सरकार

ने इसे जोड़ा राशि और 70,000 रुपये तय की गयी।

भोजन, कपड़ा और मकान मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं और इन्हे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास की देखभाल और ग्रामीण जरूरतों का ख्याल रखता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों के विकास के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक इंदिरा आवास योजना है।

बालिका समृद्धि योजना :

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की ऐसी महिला जिसकी 2 पुत्रियाँ हैं को बालिका के जन्म दर 500 रुपये की राशि दी जाती है। इस राशि को बैंक या डाकघर में जमा किया जाता है जिसे बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही निकाला जा सकता है। इस राशि में कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति भी जमा होती है।

अंत्योदय अन्न योजना :

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक केंद्रित तथा गरीब आबादी के अत्यंत गरीब वर्ग तक पहुँचाने के लिए अंत्योदय अन्न योजना को दिसम्बर 2000 में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना, राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले बीपीएल परिवारों में से अत्यंत गरीब परिवारों में से की पहचान करके अत्यधिक रियायती दर पर 2 रु प्रति के.जी. गेहूँ और 3 रु प्रति के.जी. चावल उपलब्ध कराती है।

संदर्भ ग्रंथ :-

- 1) भारत में सामाजिक समस्याएँ, शवत प्रकाशन नई दिल्ली 2007
- 2) भारत सरकार अर्जुन सेनगुप्ता निर्यात समूह के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए गरीबी का अनुमान तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2009